राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / Dig.Lit/Click/F-945 / 2017 / 8256 दिनांकः 17/11/2017

बैठक कार्यवृत्त

'CLICK' (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना के क्रियान्वयन, प्रचार प्रसार, संबलन, मॉनिटरिंग व प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 09.10.2017 को आयोजित हुई जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है :–

01. क्लिक योजना मे विद्याथियों की शुल्क दर निम्नानुसार है जिसकी पालना सुनिश्चित करेंगे :–

क्र.स.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि (घंटो मे)	शुल्क राशि (राशि रू में)
01	कक्षा 6	50	960
02	कक्षा 7	50	960
03	कक्षा 8	50	960
04	कक्षा 9	72	1320
05	कक्षा 10	60	1320

02. योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ही विद्यार्थी को प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
03. योजना में पाठ्यक्रम को वर्ष अन्तराल में कालान्तर के आधार पर विभाजित किया गया है। जिसे किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा नहीं पढ़ाया जाये।
04. योजना का प्रारम्भ सत्र के किसी भी माह में प्रारम्भ होने के पश्चात संस्थान को विद्यार्थियों का पूर्ण पाठ्यक्रम कराना अनिवार्य है।
05. योजना में क्रियान्वयन संस्था के शिक्षको (कम्प्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक को) 1 माह में सरकारी अवकाश के अतिरिक्त माह 2 अवकाश दिया जाना स्वीकार्य है।
06. योजना में क्रियान्वयन संस्था को पूर्ण (एकत्रित की गई) फीस चैक के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रोपराईटर फर्म कि स्थिति मे संस्थाप्रधान के नाम से चैक दिया जा सकता है।
07. SDMC द्वारा यदि TDS की कटौति की जाती है तो समय पर की गई TDS कटौती का प्रमाण–पत्र संस्था को प्रदान किया जाये।
08. अक्टूबर माह के पश्चात योजना में नये नामांकन नहीं किये जावें।
09. राज्य के भौतिक विभाजन को देखते हुये योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले के सीमान्तर क्षेत्र मे स्थिति विद्यालयो में सीमान्तर क्षेत्र से जुड़े जिले के ज्ञान केन्द्र उस क्षेत्र के विद्यालयो के साथ अनुबंध कर सकते है। इस अनुबंध की स्वीकृति RKCL के द्वारा विवचेना करने के पश्चात दी जावेगी।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप / जय / Dig.Lit/Click/F-945 / 2017 / 8256 दिनांकः 17/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
5. निजी सहायक, कुलपति वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा।
6. उपायुक्त (प्रथम) रामाशिप जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक